भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 79
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना

***79. श्री दुलू महतो:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एम्स की तर्ज पर झारखंड के धनबाद जिले सहित देश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने अथवा मौजूदा अस्पतालों का उन्नयन करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिलों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी के रूप में स्थापित करने या उनका उन्नयन करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में भविष्य की क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं;
(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ अन्य उपाय कर रही है;
(घ) यदि हां, तो वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का धनबाद सहित झारखंड के अन्य जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कोई समय -सीमा तय करने और बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

29 नवंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 79 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी)/ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के माध्यम से मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन का प्रावधान है। अब तक, इस योजना के तहत 75 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरआईएमएस), रांची का उन्नयन शामिल है। पीएमएसएसवाई के तहत उन्नयन के लिए स्वीकृत 75 जीएमसीआई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अलावा, झारखंड के देवघर में एम्स सहित 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सभी एम्स में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का प्रावधान है। पीएमएसएसवाई के तहत स्वीकृत एम्स की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) से (ङ): **जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। झारखंड में 05 सहित मेडिकल कॉलेजों के स्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची** अनुलग्नक-**III में दी गई है।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ चाहने वाले सभी लोगों को सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। एनएचएम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उनके द्वारा बताई गई आवश्यकताओं और उनके समग्र संसाधन के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में भारत सरकार द्वारा एनएचएम के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशाकर्मी, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केंद्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क निदान सेवा पहल और निःशुल्क औषधि सेवा पहल, आरसीएच के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 20451.31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक में 5 लाख से अधिक आबादी वाले 602 जिलों में गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2021-25 के दौरान स्वीकृत 395 सीसीबी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक IV** में है। झारखंड में पीएम-एबीएचआईएम के तहत 427.51 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत 15 सीसीबी का जिलावार विवरण **अनुलग्नक-V** में है। 15 सीसीबी की स्थापना के लिए सहायता के अलावा, झारखंड राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 893 भवन रहित उप-केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), 100 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 17 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 625.68 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

इसके अलावा, पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत, 12 केंद्रीय संस्थानों में 150 बिस्तरों वाले सीसीबी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सूची **अनुलग्नक-VI** में दी गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, दवाओं और निदान को मजबूत करने के लिए झारखंड के लिए 2370.19 करोड़ रुपए सहित 70,051 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

झारखंड राज्य के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी निधियां और वर्तमान वर्ष के लिए आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रुपए में

योजना	वर्ष 2024-2025 हेतु आवंटन
एनएचएम	961.38
पीएम-एबीएचआईएम	109.16
पंद्रहवें-वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान	492.10

अनुलग्नक -I

उन्नयन परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	सं.	जीएमसी / संस्था का नाम	अनुमोदित अवसंरचना
1	आंध्र प्रदेश	1	श्री वेंकटेश्वर चिकित्सा संस्थान विज्ञान, तिरुपति	उपकरणों की खरीद
		2	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		3	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
2	असम	4	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		5	असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
3	बिहार	6	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		7	दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		8	पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		9	राजकीय मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		10	राजकीय मेडिकल कॉलेज, गया	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		11	आईजीआईएमएस, पटना	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान
4	छत्तीसगढ	12	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		13	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
5	दिल्ली	14	यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल	-
6	गोवा	15	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
7	गुजरात	16	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	चिकित्सा उपकरणों की खरीद
		17	राजकीय मेडिकल कॉलेज,	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

क्रम सं.	राज्य	सं.	जीएमसी / संस्था का नाम	अनुमोदित अवसंरचना
			राजकोट	
		18	राजकीय मेडिकल कॉलेज, सूरत	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		19	राजकीय मेडिकल कॉलेज, भावनगर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
8	हरियाणा	20	पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान , रोहतक	सर्विस ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स ओटी
9	हिमाचल प्रदेश	21	राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		22	इंदिरा गांधी राजकीय मेडिकल कॉलेज, शिमला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
10	जम्मू एवं कश्मीर	23	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		24	राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमाटोलॉजी
11	झारखंड	25	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), रांची	सुपर स्पेशियलिटी और आन्कोलॉजी ब्लॉक
		26	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
12	कर्नाटक	27	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		28	विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेल्लारी	आघात परिचर्या ब्लॉक
		29	कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसिज, हुबली	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
13	केरल	30	मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		31	कोझिकोड मेडिकल कॉलेज	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के साथ आघात परिचर्या केन्द्र
		32	टीडी मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		33	एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेंद्रम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
14	मध्य प्रदेश	34	शासकीय मेडिकल कॉलेज, रीवा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		35	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		36	जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		37	राजकीय मेडिकल कॉलेज, इंदौर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
15	महाराष्ट्र	38	ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ	चिकित्सा उपकरणों की खरीद

क्रम सं.	राज्य	सं.	जीएमसी / संस्था का नाम	अनुमोदित अवसंरचना
			हॉस्पिटल्स, मुंबई	
		39	राजकीय मेडिकल कॉलेज, नागपुर	चिकित्सा उपकरणों की खरीद
		40	राजकीय मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		41	राजकीय मेडिकल कॉलेज, लातूर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		42	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अकोला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		43	श्री वसंतराव नाइक सरकार. मेडिकल कॉलेज, यवतमाल	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
16	ओडिशा	44	एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		45	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुर्ला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		46	राजकीय मेडिकल कॉलेज, कटक	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
17	पंजाब	47	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		48	राजकीय मेडिकल कॉलेज, पटियाला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
18	राजस्थान	49	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		50	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		51	राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		52	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
19	तमिलनाडु	53	राजकीय मेडिकल कॉलेज, सेलम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर
		54	राजकीय मेडिकल कॉलेज, मदुरै	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		55	तंजावुर मेडिकल कॉलेज, तंजावुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		56	तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
20	तेलंगाना	57	निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर
		58	राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, आदिलाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		59	काकतीय मेडिकल कॉलेज, वारंगल	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
21	त्रिपुरा	60	अगरतला राजकीय मेडिकल कॉलेज, अगरतला	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
22	उत्तर प्रदेश	61	एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		62	आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर (टीसी)	ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज
		63	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़ का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज	ट्रॉमा केयर सेंटर और ओबीजी ब्लॉक
		64	राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		65	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

क्रम सं.	राज्य	सं.	जीएमसी / संस्था का नाम	अनुमोदित अवसंरचना
		66	एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		67	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		68	राजकीय मेडिकल कॉलेज, आगरा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		69	राजकीय मेडिकल कॉलेज, कानपुर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		70	चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आई.एम.एस.), बी.एच.यू., वाराणसी में एस.एस.बी.	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		71	आरआईओ, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी	क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान (आरआईओ)
23	पश्चिम बंगाल	72	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		73	बीएस मेडिकल कॉलेज, बांकुरा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
		74	राजकीय मेडिकल कॉलेज, मालदा	ट्रॉमा केयर सेंटर और आपात चिकित्सा ब्लॉक
		75	नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, दार्जिलिंग	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

अनुलग्नक- II

पीएमएसएसवाई के तहत अनुमोदित 22 नए एम्स

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम्स का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	एम्स, मंगलगिरी
2.	असम	एम्स, गुवाहाटी
3.	बिहार	एम्स, पटना
4.		एम्स, दरभंगा
5.	छत्तीसगढ़	एम्स, रायपुर
6.	गुजरात	एम्स, राजकोट
7.	हरियाणा	एम्स, रेवाड़ी
8.	हिमाचल प्रदेश	एम्स, बिलासपुर
9.	जम्मू और कश्मीर	एम्स, जम्मू
10.		एम्स, कश्मीर
11.	झारखंड	एम्स, देवघर
12.	मध्य प्रदेश	एम्स, भोपाल
13.	महाराष्ट्र	एम्स, नागपुर
14.	ओडिशा	एम्स, भुवनेश्वर
15.	पंजाब	एम्स, भठिंडा
16.	राजस्थान	एम्स, जोधपुर
17.	तमिलनाडु	एम्स, मदुरै
18.	तेलंगाना	एम्स, बीबीनगर
19.	उत्तर प्रदेश	एम्स, रायबरेली
20.		एम्स, गोरखपुर
21.	उत्तराखंड	एम्स, ऋषिकेश
22.	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी

अनुलग्नक- III

मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थानों की संख्या	मेडिकल कॉलेज का स्थान
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3.	असम	5	धुबरी; नगांव; उत्तर लखीमपुर; दिफू और कोकराझार
4.	आंध्र प्रदेश	3	पिगुरल्ला; पडेरू और मछलीपट्टनम
5.	बिहार	8	पूर्णिया; सारन (छपरा); समस्तीपुर; सीतामढ़ी; झंझारपुर; सिवान; बक्सर और जमुई
6.	छत्तीसगढ़	5	राजनंदगांव; सरगुजा; कोरबा; महासमुंद और कांकेर
7.	गुजरात	5	नर्मदा; नवसारी; पंचमहल; पोरबंदर और मोरबी
8.	हिमाचल प्रदेश	3	चंबा; हमीरपुर और नाहन (सिरमौर)
9.	हरियाणा	1	भिवानी
10.	झारखंड	5	दुमका; हजारीबाग; पलामू (डाल्टनगंज); कोडरमा और चाईबासा (सिंहभूम)
11.	जम्मू और कश्मीर	7	अनंतनाग; बारामूला; राजौरी; डोडा; काठुआ; ऊधमपुर और हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
12.	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु; हावेरी; यादगिरी और चिक्काबल्लापुरा
13.	लद्दाख	1	लेह
14.	मध्य प्रदेश	14	दतिया; खंडवा; रतलाम; शहडोल; विदिशा; छिंदवाड़ा; शिवपुरी; सतना; राजगढ़; मंडला; नीमच; मंदसौर; श्योपुर और सिंगरौली
15.	महाराष्ट्र	2	गोंदिया और नंदुरबार
16.	मणिपुर	1	चुराचांदपुर
17.	मेघालय	1	वेस्ट गारो हिल्स (तुरा)
18.	मिजोरम	1	फल्कावन
19.	नागालैंड	2	नागा हॉस्पिटल और मोन

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थानों की संख्या	मेडिकल कॉलेज का स्थान
20.	ओडिशा	7	बालासोर; बारीपदा (मयूरभंज); बोलनगीर; कोरापुट; पूरी; जाजपुर और कालाहांडी
21.	पंजाब	3	एसएएस नगर; कपूरथला और होशियारपुर
22.	राजस्थान	23	बाड़मेर; भरतपुर; भीलवाड़ा; चुरू; डूंगरपुर; पाली; सीकर; धौलपुर; अलवर; बारां; बांसवाड़ा; चित्तौड़गढ़; जैसलमेर; करौली; नागौर; श्रीगंगानगर; सिरोही; बूंदी; सवाई माधोपुर; टोंक; हनुमानगढ़; झुंझुनू और दौसा
23.	सिक्किम	1	गंगटोक
24.	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर; नीलगिरी; रामनाथपुरम; नमक्कल; डिंडीगुल; विरुधुनगर; कृष्णागिरी; तिरुवल्लूर; नागपट्टिनम; अरियालुर और कल्लाकुरिची
25.	उत्तर प्रदेश	27	बस्ती; फैजाबाद; फिरोजाबाद; शाहजहाँपुर; बहराइच; एटा; हरदोई; प्रतापगढ़; फतेहपुर; सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज); देवरिया; गाजीपुर; मिर्जापुर; बिजनौर; कुशीनगर; सुल्तानपुर; गोंडा; ललितपुर; लखीमपुर खीरी; चंदौली; बुलंदशहर; सोनभद्र; पीलीभीत; औरैया; कानपुर देहात; कौशांबी और अमेठी
26.	उत्तराखंड	4	अल्मोड़ा; रुद्रपुर- जिला उधम सिंह नगर; पिथौरागढ़ और हरिद्वार
27.	पश्चिम बंगाल	11	बीरभूम (रामपुर हाट); कूच बिहार; डायमंड बंदरगाह; पुरुलिया; रायगंज, उत्तर दिनाजपुर; बारासात; उलुबेरिया; आरामबाग; झारग्राम; तामलुक और जलपाईगुड़ी
कुल		157	

अनुलग्नक - IV

क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स (सीसीबी) के चार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए राज्यवार अनुमोदन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष) के लिए अनुमोदन		
		(वित्तीय वर्ष 2021-26) योजना अवधि के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए कुल अनुमोदित इकाई	कुल अनुमोदित राशि (करोड़ रु में)
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	23.75
2	आंध्र प्रदेश	13	16	380.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0.00
4	असम	27	17	412.93
5	बिहार	38	12	401.30
6	चंडीगढ़	-	1	23.75
7	छत्तीसगढ़	23	15	425.10
8	दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव	1	0	0.00
9	दिल्ली*	9	0	0.00
10	गोवा	2	0	0.00
11	गुजरात	32	22	704.01
12	हरियाणा	22	15	425.10
13	हिमाचल प्रदेश	8	4	95.00
14	जम्मू और कश्मीर	9	4	95.00
15	झारखंड	22	15	427.51
16	कर्नाटक	30	21	617.16
17	केरल	14	10	251.27
18	लद्दाख	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	50	35	900.13
21	महाराष्ट्र	36	24	635.85
22	मणिपुर	2	0	0.00
23	मेघालय	2	0	0.00
24	मिजोरम	1	1	23.75
25	नागालैंड	1	0	0.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-25 (4 वर्ष) के लिए अनुमोदन		
		(वित्तीय वर्ष 2021-26) योजना अवधि के लिए लक्ष्य	4 वर्ष के लिए कुल अनुमोदित इकाई	कुल अनुमोदित राशि (करोड़ रु में)
26	ओडिशा	28	21	581.40
27	पुडुचेरी	3	0	0.00
28	पंजाब	21	17	508.49
29	राजस्थान	33	24	680.99
30	सिक्किम	1	1	23.75
31	तमिलनाडु	37	28	856.52
32	तेलंगाना	31	21	581.40
33	त्रिपुरा	1	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	74	49	1915.35
35	उत्तराखंड	7	4	95.00
36	पश्चिम बंगाल	22	17	530.19
	कुल	**602**	**395**	**11614.71**

*** दिल्ली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**

अनुलग्नक-V

झारखंड में अनुमोदित सीसीबी का जिलेवार विवरण

क्रमांक सं.	जिला	बिस्तर	जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत
1	पलामू	50	पलामू जिले में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल
2	दुमका	50	दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज
3	खूंटी	100	खूंटी जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल
4	लोहरदगा	100	लोहरदगा जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल
5	सरायकेला	100	सरायकेला-खरसावां जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल
6	पूर्वी सिंहभूम	100	पूर्वी सिंहभूम जिले में क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल
7	पाकुड़	50	पाकुड़ जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
8	धनबाद	50	धनबाद जिले के शहिद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक।
9	गुमला	50	गुमला जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
10	गोड्डा	50	गोड्डा जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
11	पश्चिमी सिंहभूम	50	पश्चिमी सिंहभूम जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
12	हजारीबाग	50	हजारीबाग जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक।
13	चतरा	50	चतरा जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
14	देवघर	50	देवघर जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक
15	बोकारो	50	बोकारो जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक

अनुबंध-VI

केंद्रीय संस्थान जहां सीसीबी को मंजूरी दी गई है

क्रमांक सं.	केंद्रीय संस्थानों के नाम
1.	एम्स, नई दिल्ली
2.	एम्स, पटना
3.	एम्स, रायपुर
4.	एम्स, ऋषिकेश
5.	एम्स, भोपाल
6.	एम्स, जोधपुर
7.	एम्स, भुवनेश्वर
8.	चंडीगढ़ में पीजीआईएमईआर
9.	पुडुचेरी में जिपमेर
10.	इम्फाल में रिम्स
11.	शिलांग में एनईआईजीआरआईएचएमएस
12.	वाराणसी में बीएचयू का आईएमएस

******